भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3686

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत

3686. श्री हनुमान बेनीवालः
श्री राजकुमार रोतः
श्री राजेश रंजनः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 73वें संविधान संशोधन के तीन दशक बाद भी, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों को 29 विषयों का पूरा अधिकार हस्तांतरण, पर्याप्त वित्तीय शक्तियां और आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारी नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन 29 विषयों के हस्तांतरण की स्थिति और मुख्य निष्कर्ष, मुहैया कराए गए वित्तीय संसाधन और पंचायतों को मुहैया कराए गए कर्मचारियों सहित तत्संबंधी राज्य-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा पंचायतों को वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यात्मक शक्तियां सौंपने की स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का पंचायतों को वास्तव में स्थानीय स्व-शासन की वास्तविक इकाइयां बनाने के लिए समयबद्ध कार्य-योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों का अंतरण, पर्याप्त वित्तीय शक्तियां, ग्राम पंचायतों को आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारी उपलब्ध कराना और पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, इस मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जो कि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राजस्थान राज्य सहित, की रैंकिंग **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इन छः चिन्हित आयामों में, **रूपरेखा** में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायत चुनाव और राज्य चुनाव आयोग, पंचायतों का कार्यकाल, उनका भंग होना और उपचुनाव, ज़िला योजना समिति का गठन और कामकाज, समितियों और समानांतर निकायों/संस्थाओं में पंचायतों की भूमिका, और पंचायतों को स्वायत्तता देना शामिल है। **कार्य** में पंचायतों को सौंपे गए काम जैसे एक्टिविटी मैपिंग, किया गया व्यय , पंचायतों की वास्तविक भागीदारी और महत्वपूर्ण योजनाओं में पंचायतों की भूमिका शामिल हैं| **वित्त** में पंचायतों को मिलने वाला 15वें वित्त आयोग का अनुदान, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के

आधार पर पंचायतों को धन का हस्तांतरण, राजस्व लगाने और कर इकट्ठा करने के लिए पंचायतों को अधिकार देना, पंचायतों के पास उपलब्ध निधि, पंचायतों का खर्च, और वित्त, अकाउंट्स व बजट से जुड़ी पहलें शामिल हैं। **पदाधिकारी** में पंचायतों का भौतिक बुनियादी ढांचा, पंचायतों की ई-कनेक्टिविटी और पंचायत अधिकारी शामिल हैं। **क्षमता में वृद्धि** में प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण गतिविधियाँ जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल हैं| **जवाबदेही** में पंचायतों का लेखांकन और ऑडिट, पंचायतों का सोशल ऑडिट, ग्राम सभा का कामकाज, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-रोधी उपाय, तथा पंचायतों का मूल्यांकन और प्रोत्साहन शामिल हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 (अंतरिम अवधि 2020–21 सहित) के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों, पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों सहित 28 राज्यों में कुल ₹2,97,555 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की थी, इनमें से 31 मार्च, 2026 तक ₹2,82,632.34 करोड़ जारी किए गए।

(घ) "पंचायत" राज्य का विषय है, इसलिए पंचायतों को स्थानीय स्व-शासन की वास्तविक इकाई बनाने के लिए समय-सीमा के भीतर कार्य-योजना तैयार करने का मामला संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अनुबंध-I

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3686 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध

अंतरण सूचकांक (डीआई) और उप-सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

श्रेणी	डीआई		रूपरेखा		कार्य		वित्त		पदाधिकारियों		क्षमता निर्माण		जवाबदेही	
	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक
सामान्य श्रेणी के राज्य														
1	कर्नाटक	72.23	केरल	83.56	तमिलनाडु	60.24	कर्नाटक	70.65	गुजरात	90.94	तेलंगाना	86.19	कर्नाटक	81.33
2	केरल	70.59	महाराष्ट्र	74.74	कर्नाटक	57.62	केरल	62.89	तमिलनाडु	84.25	तमिलनाडु	84.29	केरल	81.18
3	तमिलनाडु	68.38	कर्नाटक	74.43	ओडिशा	57.46	तमिलनाडु	55.78	केरल	82.99	गुजरात	83.96	महाराष्ट्र	80.36
4	महाराष्ट्र	61.44	हरियाणा	73.3	राजस्थान	56.13	राजस्थान	54.56	कर्नाटक	80.11	गोवा	77.7	उत्तर प्रदेश	76.07
5	उत्तरप्रदेश	60.07	मध्यप्रदेश	70	केरल	53.86	ओडिशा	53.57	छत्तीसगढ	78.33	आंध्र प्रदेश	76.69	तमिलनाडु	71
6	गुजरात	58.26	ओडिशा	69.2	उत्तर प्रदेश	46.89	पश्चिम बंगाल	52.96	बिहार	75.13	उत्तर प्रदेश	74.44	आंध्र प्रदेश	60.49
7	राजस्थान	56.67	राजस्थान	68.54	महाराष्ट्र	46.52	उत्तर प्रदेश	51.76	महाराष्ट्र	73.63	महाराष्ट्र	73.35	तेलंगाना	60.43

8	पश्चिमबंगाल	56.52	छत्तीसगढ	68.51	छत्तीसगढ	42.39	छत्तीसगढ	51.45	आंध्र प्रदेश	68.78	कर्नाटक	71.59	छत्तीसगढ	58.17
9	छत्तीसगढ	56.26	तमिलनाडु	66.83	गुजरात	41.23	तेलंगाना	46.86	पश्चिम बंगाल	67.76	केरल	71.11	पश्चिम बंगाल	57.87
10	तेलंगाना	55.1	पश्चिम बंगाल	62.3	मध्यप्रदेश	39.47	बिहार	43.86	राजस्थान	64.03	पश्चिम बंगाल	70.63	ओडिशा	51.92
11	आंध्रप्रदेश	54.43	गुजरात	61.65	तेलंगाना	38.77	आंध्र प्रदेश	43.19	उत्तर प्रदेश	63.13	मध्यप्रदेश	70	बिहार	51.64
12	मध्यप्रदेश	50.94	आंध्र प्रदेश	60.08	पश्चिम बंगाल	33.07	महाराष्ट्र	42.96	मध्यप्रदेश	62.22	राजस्थान	61.43	गुजरात	47.9
13	ओडिशा	50.03	उत्तर प्रदेश	54.64	पंजाब	31.97	मध्यप्रदेश	42.34	तेलंगाना	58.01	बिहार	55.27	हरियाणा	41.93
14	बिहार	48.24	गोवा	52.88	आंध्र प्रदेश	30.5	गुजरात	41.63	गोवा	46.31	छत्तीसगढ	47.61	राजस्थान	41.43
15	हरियाणा	39.33	बिहार	49.76	झारखंड	27.56	हरियाणा	40.38	हरियाणा	38.48	ओडिशा	43.43	मध्यप्रदेश	36.55
16	गोवा	37.71	पंजाब	47.26	बिहार	18.69	पंजाब	36.36	झारखंड	27.83	हरियाणा	35.35	गोवा	31.75
17	पंजाब	29.34	तेलंगाना	45.35	हरियाणा	16.82	झारखंड	30.05	ओडिशा	27.42	पंजाब	26.34	पंजाब	24.87
18	झारखंड	27.73	झारखंड	42.3	गोवा	6.63	गोवा	26.88	पंजाब	8.2	झारखंड	24.72	झारखंड	16.47
पूर्वोत्तर / पहाड़ी क्षेत्र के राज्य														
1	त्रिपुरा	57.58	उत्तराखंड	70.95	सिक्किम	42.59	त्रिपुरा	59.16	हिमाचल	70.06	हिमाचल	83.68	त्रिपुरा	70.69

									प्रदेश		प्रदेश			
2	हिमाचलप्रदेश	53.17	त्रिपुरा	66.5	असम	28.66	हिमाचल प्रदेश	48.41	असम	65.12	त्रिपुरा	76.82	असम	57.14
3	उत्तराखंड	49.11	सिक्किम	65.27	हिमाचल प्रदेश	23.01	उत्तराखंड	47.11	उत्तराखंड	60.49	असम	71.96	उत्तराखंड	52.72
4	असम	49.06	हिमाचल प्रदेश	62.22	त्रिपुरा	21.5	सिक्किम	43.5	त्रिपुरा	52.22	उत्तराखंड	56.02	हिमाचल प्रदेश	39.41
5	सिक्किम	43.81	असम	54.04	उत्तराखंड	16.68	असम	34.06	सिक्किम	31.42	सिक्किम	53.23	सिक्किम	34.94
6	अरुणाचलप्रदेश#	17.96	अरुणाचल प्रदेश#	41.5	अरुणाचल प्रदेश#	12.7	मणिपुर#	13.17	मणिपुर#	21.4	अरुणाचल प्रदेश#	37.4	मणिपुर#	28.75
7	मणिपुर#	17.13	मणिपुर#	34.05	मणिपुर#	11.23	अरुणाचल प्रदेश#	6.83	अरुणाचल प्रदेश#	5.74	मणिपुर#	3.75	अरुणाचल प्रदेश#	22.56
संघ राज्य क्षेत्र														
1	जम्मूऔरकश्मीर	27.85	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.21	जम्मू और कश्मीर	11.88	पुदुचेरी	16.16	लक्षद्वीप#	39.53	जम्मू और कश्मीर	55.08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.73
2	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	27.15	लक्षद्वीप#	31.42	लद्दाख	11.08	जम्मू और कश्मीर	13.29	जम्मू और कश्मीर	36.97	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54.82	जम्मू और कश्मीर	39.76

3	लक्षद्वीप#	18.32	जम्मू और कश्मीर	23.07	लक्षद्वीप#	10.36	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.09	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	31.69	लद्दाख	29.32	पुदुचेरी	29.33
4	लद्दाख	16.18	लद्दाख	22.21	पुदुचेरी	4.63	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	5.45	लद्दाख	25.25	लक्षद्वीप#	15.18	लक्षद्वीप#	28.13
5	पुदुचेरी	16.16	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	22.06	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.5	लक्षद्वीप#	3.99	पुदुचेरी	21.49	पुदुचेरी	13.75	लद्दाख	27.43
6	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदीव#	13.62	पुदुचेरी	9.31	दादरा और नगर हवेली और दमन	0	लद्दाख	0	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.94	दादरा और नगर हवेली और दमन	8.57	दादरा और नगर हवेली और दमन	24.91

					और दीव#						और दीव#		और दीव#	
	राष्ट्रीय औसत	**43.89**		**54.29**		**29.18**		**37.04**		**50.96**		**54.63**		47.51

स्रोत:"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट

नोट: #वे राज्य जिनके लिए पिछले आँकड़ेइस्तेमाल किए गए हैं।